रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-230994
SG-DL-E-10112021-230994

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 239
No. 322]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 239

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

संशोधित अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

फा. सं. आर.1491/ टी॰ओ॰(एस॰)/टी॰सी॰-फेलिंग/19-20/6841-49.—विभाग अधिसूचना दिनांक 16.09.2020 के अधिरोपण में, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्लॉट नंबर 118, नई दिल्ली में "प्रस्तावित विस्तार और मौजूदा संसद भवन के पुनरुद्धार" हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.58 हेक्टेयर (25800 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या		उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	योग	
(1)	(2)		(3)
प्लॉट नंबर 118] नई दिल्ली में "प्रस्तावित विस्तार और मौजूदा संसद भवन के पुनरुद्धार" हेतु ।	404	404	4040
योग	404	404	4040

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 2,30,28,000 /- रुपये (दो करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (404 वृक्षों को प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 4040 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का एनटीपीसी इको-पार्क बदरपुर, नई दिल्ली में किया जाएगा ।	4040	2,30,28,000 /-	उप–वन संरक्षक (दक्षिण) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 404 वृक्षों का प्रत्यारोपण मौजूदा संसद परिसर में (लगभग 130 वृक्ष) और एन॰टी॰पी॰सी॰ इको-पार्क बदरपुर मे (लगभग 274 वृक्ष), नई दिल्ली की भूमि पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 4040 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 404 वृक्षो को प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 4040 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

6. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

7. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त 500 पौधे प्रतिरोपित वृक्षों की मृत्यु दर में होने वाली वृद्धि की भरपाई के लिए लगाए जाएंगे।

10. वृक्षो को प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।

12. उपभोगी संस्था द्वारा 404 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण एक अपराध होगा ।

13. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजीव खिरवार, प्रमुख सचिव (पर्यावरण और वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

REVISED NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2021

F.No.R.1491/TO(S)/TC-Felling/19-20/6841-49.— In supersession of the department Notification dated 16.09.2020 and in exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.58 ha. (25800 sqm.) as detailed below for "proposed Expansion and Restoration of Existing Parliament Building" at Plot No. 118, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)		Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Transplantation	Total	
(1)	(2)		(3)
Proposed Expansion and Restoration of Existing Parliament Building at Plot No. 118, New Delhi.	404	404	4040
Total	404	404	4040

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Central Public Works Department (CPWD), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 2,30,28,000 /- (Rupees Two Crore Thirty Lakh and Twenty Eight Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation of 404 trees i.e 4040 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at NTPC Eco-Park Badarpur, New Delhi.	4040	2,30,28,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 404 No. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Existing Parliament Complex (around 130 No. of trees) and NTPC Eco-Park Badarpur (around 274 No. of trees), New Delhi with their own funds.			

2. 100% Compensatory Plantation of 4040 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. 4040 Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation of 404 no. of trees. The plantation shall be done by following site

specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
6. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
7. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
8. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
9. Additional 500 trees shall be planted by User Agency to offset any increase in mortality of transplanted trees.
10. Permission for transplantation of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
11. Before the transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
12. Felling/ Transplantation of any tree apart from 404 trees by User Agency shall constitute an offence.
13. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.10 11:44:26 +05'30'